न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 6/2018/अपील

1 सुगना राम पुत्र स्व0 श्री लिखमा राम जाति जाट निवासी ग्राम पुनियाणा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर (राज0)।

—अपीलांट

बनाम

1. ग्राम पंचायत धोलासरी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर जरियेः सरपंच ग्राम पंचायत धोलासरी।
2. भागचन्द
3. बागाराम } पुत्रगण स्व0 लिखमाराम
4. नोपी देवी पत्नि स्व0 लिखमाराम

जाति जाट निवासीगण पुनियाणा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 168 दिनांकित 16.09.2006 द्वारा ग्राम पंचायत धोलासरी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

उपस्थिति—

1. **श्री हरदेवाराम सुण्डा, वकील अपीलांट ओर सें।**
2. **श्री कमल कुमार शर्मा, वकील रेस्पोडेन्ट्स की ओर सें।**

निर्णय **दिनांक — 31.12.2019**

1. यह है कि खाता संख्या 25, 28 की कृषि भूमियां खसरा नम्बर 179, 185, 194, 195, 196, 198, 199, 200 ता 202, 206, 207, 213 ता 215, 215/759, 237 ता 239, 243 किता 20 कुल रकबा 22.71 है0, एवं खसरा नम्बर 197, 215/750 किता 2 कुल रकबा 0.02 है0 वाके ग्राम पुन्याणा पटवार हल्का धोलासरी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। प्रार्थी/अपीलांट का सही व वास्तविक नाम सुगनाराम पुत्र लिखमाराम एवं उसके भाई (रेस्पोडेन्ट संख्या दो) का सही व वास्तविक नाम भागचन्द पुत्र लिखमाराम है जो कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या दो के नाम से ग्राम पंचायत धोलासरी द्वारा जारी परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, विधालय रिकार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पैन कार्ड व ग्राम पंचायत धोलासरी द्वारा इस सम्बंध मे जारी प्रमाण—पत्र दिनांक 27.05.2018 एवं अन्य दस्तावेजात से स्पष्ट एवं प्रमाणित है। उपरोक्त भूमि पुराने खाता संख्या 25, 28 एवं नये खाता

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

संख्या 38, 39, 104 व 105, 117 तन ग्राम पुनियाणा पटवार हल्का धोलासरी में से पैत्रिक हक, हिस्सा की खातेदारी प्रार्थी/अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पिता एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के पति लिखमाराम पुत्र पन्ना के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड रही है। उक्त लिखमाराम का स्वर्गवास अरसा करीब 13–14 वर्ष पूर्व हो चुका है जिसके वारिश प्रार्थी/अपीलांट व अपीलांट के भाई भागचन्द, बागाराम एवं माता नोपी देवी है। उक्त अपीलांट के पिता लिखमाराम का स्वर्गवास हो जाने पर मृतक खातेदार की विरासत का अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 168 दिनांक 16.09.2006 को ग्राम पंचायत धोलासरी (रेस्पोडेन्ट संख्या एक) द्वारा उसके तीनों जायंदा पुत्रों व पत्नि नोपी देवी एंव पुत्रियों के नाम से भरा गया परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या एक ने उस समय प्रार्थी का नाम सुगनाराम की जगह श्रवणराम व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का नाम भागचन्द की जगह भगाराम अंकित कर दिया जो गलत है एवं दुरूस्त किये जाने योग्य है। तत्समय लिखमाराम की पुत्रियों द्वारा अपने हक, हिस्से का हक त्याग–पत्र अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 4 के पक्ष में करवा दिया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण की कार्यवाही के समय अपीलांट कानूनी जानकारी से अनभिज्ञ था एवं इसके बाद भी राजस्व रिकार्ड सम्बन्धी कभी कोई जानकारी नहीं रही। आज से एक माह पूर्व अपीलांट का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से अंकित होने की स्पष्ट जानकारी होने के बाद लगातार कार्यवाही करता आ रहा है परन्तु आज तक उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त नहीं किया गया है एवं श्रीमान के समक्ष यह अपील पेश किया जाना लाजमी हुआ है, इसलिए अपीलाधीन नामान्तकरण खारिज होने योग्य है। अपील पेश करने में हुआ विलम्ब जानबूझकर नहीं बल्कि रिकार्ड की जानकारी नहीं रहने से कानूनी अनभिज्ञता की वजह से हुआ है जो कि क्षमा किये जाने योग्य है। एवं इसके लिए अपीलांट द्वारा आवेदन दफा 5 अवधि परिसीमा अधिनियम के तहत अलग से पेश कर अपील पेश करने की अनुमति प्राप्त कर ली गई है। अतः अपील प्रस्तुत कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि कि अपील, अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 168 दिनांकित 16.09.2006 ब–तस्दीक ग्राम पंचायत धोलासरी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर को निरस्त फरमाया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या एक को अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का वास्तविक नाम दर्ज करते हुए पुनः नामान्तकरण भरे जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 4 की ओर सें वकील श्री कमल कुमार शर्मा हाजिर आये। वकील उभयपक्ष ने आवेदन पेश कर

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

निवेदन किया कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट्स के मध्य राजीनामा हो चुका है तथा अपील रिमाण्ड करने हेतु सहमत है। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. अपील अपीलांट पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि मृतक लिखमाराम की विरासत का नामांतकरण भरते समय उसके वारिसान का नाम तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में लिखमाराम के वारिसान के नामों में भिन्नता है। अतः अपीलाधीन नामांतकरण निरस्तनीय है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामांतरण संख्या 168 दिनांक 16.09.2006 बतस्दीक ग्राम पंचायत धोलासरी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार दांतारामगढ को आदेशित किया जाता है कि पुनः विधिवत वारिशान के दस्तावेजों में नाम आदि की जांच करते हुए नामान्तरण दर्ज कर तस्दीक करने की कार्यवाही कर न्यायालय को पालना सें अवगत करावे।

पत्रावली बाद तकमील कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 31.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

Scanned by CamScanner